(16)

अति आवश्यक/महत्वपूर्ण

संख्या-1924(2)/सात-अ०न्या-13/89

प्रेषक,

श्री के०एल०शर्मा,
न्याय सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला जज,
उत्तरप्रदेश।

न्याय(अधीनस्थ न्यायालय)अनुभाग लखनऊ: दिनांक 16 सितम्बर, 1989

विषय:-उच्च न्यायालय के अधीन जिला एवं सत्र न्यायाधीशों के कार्यालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के 50 अस्थायी पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं०-1924/सात-अ०न्या०-13/89, दिनांक 19 अगस्त, 1989 में निहित प्राविधानों के संदर्भ में कतिपय जिला जजों ने यह जानकारी चाही है कि उक्त शासनादेश द्वारा सृजित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों के सृजन के फलस्वरूप वर्तमान सदर मुन्सरिम के पद समाप्त समझे जाये अथवा नहीं। इस सम्बन्ध में आपसे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन 50 जिलों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित किये गये हैं, वहां पर वर्तमान सदर मुन्सरिम के पद यथावत् बने रहेंगे। परन्तु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति के फलस्वरूप इन जनपदों का सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा सम्पादित किया जायेगा। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य का प्रभारी होगा और इन जिलों में कार्यरत सदर मुन्सरिम केवल जिला एवं सत्र न्यायालय का न्यायिक कार्य ही सम्पादित करेंगे। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर सदर मुन्सरिम की प्रोन्नति होने पर सदर मुन्सरिम के रिक्त पद पर निचले स्तर से वरिष्ठता के आधार पर चयन द्वारा प्रोन्नति की जायेगी।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिन जनपदों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद सृजित नहीं किये गये हैं, वहां पर सम्पूर्ण प्रशासनिक एवं जिला एवं सत्र न्यायालय सम्बन्धी कार्य सदर मुंसरिम द्वारा ही पूर्व की भांति सम्पादित किया जाता रहेगा।

भवदीय,
ह० के०एल०शर्मा
न्याय सचिव।

-----2

संख्या -1924(3)/सात-अ0न्या-13/89, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 19 अगस्त, 1989 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

ह0एस0एम0कुलश्रेष्ठ
संयुक्त सचिव ।

Immediate

In the High Court of Judicature at Allahabad.
Administrative (D) Section.

C.E. 69 /Va-81/Admn(D) Dated: Allahabad: October 4, 1989

1. Copy forwarded to All the District Judges, Subordinate to the HighCourt of Judicature at Allahabad for information and necessary action.

2. Copy forwarded to the Deputy Registrar (Budget) High Court, Allahabad for information.

By Order of the Court.

(M.P. Srivastava)
DEPUTY REGISTRAR.

V.rms/-